UPKU010002602004

न्यायालय–अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर – 04, कुशीनगर ,स्थान–पडरौना।

पीठासीन अधिकारी– (शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी) – **उच्चतर न्यायिक सेवा –** UP3838

सत्र परीक्षण संख्या – 137/2004

उत्तर प्रदेश राज्य -----अभियोजन पक्ष,

बनाम

राजेन्द्र मिश्रा बउम्र 74 वर्ष पुत्र स्व० बृजभूषण मिश्रा, साकिन– रहसू, थाना– रविन्द्रनगर धूस, जिला– कुशीनगर। ------अभियुक्त,

मु०अप०सं–749/2003,

आरोप पत्र संख्या–247/2008,

धारा–302/34 भा०दं०सं०,

थाना–कसया, जिला–कुशीनगर।

अधिवक्ता उपस्थित–

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता– श्री के०के० पाण्डेय, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)

बचाव पक्ष/अभियुक्तगण के अधिवक्ता–श्री केशव प्रसाद शुक्ल,एडवोकेट

निर्णय

तहरीर वादी–

1– संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा भोला पुत्र विरझन, ग्राम– सिंधुआ बांगर भाठ, थाना– कसया, जनपद– कुशीनगर द्वारा दिनांक – 05.09.2003 को समय 05.30 बजे थाना– कसया, जनपद– कुशीनगर में इस आशय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि 4/5–09–2003 की रात लगभग 09.00 बजे राजेन्द्र मिश्रा व हरेन्द्र मिश्रा दो अन्य बदमाशों के साथ शशिभूषण सिंह के भट्टे पर आये और भट्टे पर काम करने वाले कुर्रा पुत्र महादेव निवासी रानी डोंगिरी, थाना– कुरू, जिला– लोहरडग्गा, राज्य झारखण्ड की गोली मार दिये। कुर्रा को लहुलुहान अवस्था में देखकर प्रथमसूचनाकर्ता ने भट्ठा मालिक को तुंरत सूचना दिया और चुटैल कुर्रा को घायल अवस्था में लेकर सरकारी अस्पताल कसया ले गया जहां पर डॉक्टर ने चुटैल कुर्रा को मृतक घोषित कर दिया। प्रथम सूचनाकर्ता सीताराम पुत्र मुन्नी ने टार्च की रोशनी में बदमाशों को भागते हुये देखा। राजेन्द्र आदि ने दो दिन पूर्व भट्ठा मालिक के साथ हुये विवाद के कारण घटना किया था। राजेन्द्र मिश्रा ने भट्ठे पर आबकारी विभाग से छापा मरवाया था जिस पर भट्ठा मालिक से विवाद हुआ था।

प्रथम सूचना रिपोर्ट–

2– वादी मुकदमा भोला पुत्र विरझन के उक्त लिखित सूचना के आधार पर थाना– कसया, जिला– कुशीनगर में मु०अप०सं०– 749/2003, धारा– 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियुक्तगण राजेन्द्र मिश्रा, हरेन्द्र मिश्रा व अन्य साकिन– रहसू, थाना– रविन्द्रनगर धूस, जिला– कुशीनगर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिर्पोट दिनांक – 05.09.2003 को समय 05.30 बजे दर्ज किया गया।

अन्वेषण की कार्यवाही–

3– मामले की विवेचना अन्वेषणकर्ता अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता थानाध्यक्ष थाना– कसया, जनपद– कुशीनगर के द्वारा की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गवाहान के बयानात दर्ज किए गए, तथा विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण राजेन्द्र मिश्रा व हरेन्द्र मिश्रा साकिन– रहसू, थाना– रविन्द्रनगर धूस, जिला– कुशीनगर को अपराध संख्या– 749/2003, धारा– 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार व सबूत अपराध कारित किये जाने के सम्बन्ध में पाते हुये और इस तथ्य का कथन करते हुये आरोप पत्र संख्या– 247/2008 दिनांकित 13.10.2003 को प्रेषित किया है।

आरोप पत्र–

4– उक्त आरोप पत्र संख्या– 247/2008 दिनांकित 13.10.2003 थाना– कसया, जनपद– कुशीनगर द्वारा दिनांक – 23.10.2003 को न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर, स्थान– पड़रौना को प्राप्त हुआ, जिस पर दिनांक 23.03.2003 को ही न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर, स्थान– पड़रौना ने संज्ञान लिया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी कार्यवाही–

5– न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर, स्थान– पड़रौना ने दिनांक – 05.02.2004 को इस मामले को अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण दिनांक – 05.02.2004 को अभियुक्तगण को नकलें/कापी अन्तर्गत धारा–207 आपराधिक प्रक्रिया संहिता प्रदान कर इस मामले को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया।

सत्र न्यायालय द्वारा विचारण हेतु मामले का अन्तरण–

6– प्रस्तुत मामला जो मुकदमा अपराध संख्या– 749/2003, धारा– 302 भारतीय दण्ड संहिता, थाना– कसया, जिला– कुशीनगर से सम्बन्धित है, का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जा रहा है, जिसे विचारण हेतु विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर, स्थान– पडरौना द्वारा दिनांक– 05.02.2004 को श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में सुपुर्द किया गया, जो माननीय जनपद न्यायाधीश, कुशीनगर के आदेश दिनांकित– 29.01.2026 के अनुपालन में अन्तरित होकर इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही–

7– दिनांक – 08.12.2004 को न्यायालय माननीय जनपद न्यायाधीश, कुशीनगर द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण राजेन्द्र मिश्रा व हरेन्द्र मिश्रा के विरूद्ध धारा– 302 सपठित धारा– 34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया अभियुक्तगण ने आरोप पढ़, सुन व समझकर अपराध कारित करने को स्वीकृत करने से इन्कार कर दिया और विचारण की माँग की।

<u>**महत्वपूर्ण तथ्यों की तालिका**</u>–

8– उपरोक्त मामले के विचारण में मामले के तथ्यों, मामले की विवेचना के उपरान्त न्यायालय को उपलब्ध कराये गये पुलिस प्रपत्रों, चिकित्सीय रिपोर्ट, चिकित्सीय/शव परीक्षण चिकित्सक रिपोर्ट, साक्षीगण के साक्ष्यों, अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्तागणों के तर्कों एवं बहस तथा मामले के अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रकट होने वाले इस मामले के घटनाक्रम से सम्बन्धित आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित हैः–

1.	प्रथम सूचनाकर्ता का नाम व विवरण	भोला पुत्र विरझन, ग्राम–सिंधुआ बांगर भाठ, थाना– कसया, जनपद– कुशीनगर
2.	मृतका का नाम व विवरण	कुर्रा पुत्र महादेव निवासी रानी डोंगिरी, थाना– कुरू, जिला– लोहरडग्गा, राज्य झारखण्ड
3.	अपराध की तिथि व समय	4/5–09–2003 की रात लगभग 09.00 बजे
4.	अपराध की तहरीर थाने पर दिये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 05.09.2003 को समय 05.30 बजे
5.	प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने की तिथि एवं समय	दिनांक 05.09.2003 को समय 05.30 बजे
6.	घटनास्थल से थाने की दूरी	13 कि०मी० उत्तर
7.	अपराध जिस थाने में पंजीकृत	थाना–कसया, जनपद–कुशीनगर।
8.	अभियुक्तगण का विवरण	1– राजेन्द्र मिश्रा पुत्र स्व० भूषण, 2– हरेन्द्र मिश्रा पुत्र शारदा मिश्रा, साकिनान– रहसू, थाना– कसया, जिला–कुशीनगर।
9.	अपराध का विवरण	मु०अप०सं०– 749/2003, धारा– 302/34 भारतीय दण्ड संहिता।
9.	किस पुलिस अधिकारी के द्वारा इस आपराधिक प्रकरण की विवेचना की गयी/विवेचक का नाम व विवरण	श्री प्रकाश गुप्ता, थानाध्यक्ष थाना– कसया, जिला– कुशीनगर।
10.	विवेचना के पश्चात किन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।	1–राजेन्द्र मिश्रा पुत्र स्व० बृजभूषण मिश्रा, 2– हरेन्द्र मिश्रा पुत्र सारधा मिश्र साकिनान– रहसू, थाना– रविन्द्रनगर धूस, जिला–कुशीनगर।

11.	आहत/मृतक के शरीर पर आयी उपहतियों/चोटों का विवरण जो पंचमनामा से प्रकट है।	गोली लगने के कारण मृत्यु हुई है।
12.	आहत/मृतक व्यक्ति के शरीर पर आयी उपहतियों/ चोटों के प्रथम चिकित्सा सम्बन्धित विवरण।	कोई चिकित्सीय प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।
13.	आहत/मृतक के शरीर पर आयी उपहतियों/ चोटों के सम्बन्ध में आहत/मृतक को रेफर किये जाने के पश्चात चिकित्सा करने वाले चिकित्सक का विवरण।	कोई चिकित्सीय प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।
14.	आहत/मृतक के शरीर पर आयी उपहतियों/ चोटों के सम्बन्ध में आहत/मृतक का मृत्यु पश्चात शव–विच्छेदन परीक्षण करने वाले चिकित्सक का विवरण।	डा० सुरेश कुमार, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, टी०बी० क्लीनिक पडरौना, जनपद–कुशीनगर।
15.	मृत्यु पश्चात आहत/मृतक व्यक्ति का मृत्यु पश्चात शव–विच्छेदन किस तिथि को किया गया।	दिनांक 05.09.2003 को समय 02.30 P.M.
16.	आहत/मृतक व्यक्ति के शरीर का मृत्यु पश्चात शव–विच्छेदन करने का विवरण।	मृतक कुर्रा पुत्र महादेव, निवासी– रानी डोंगिरी, थाना– कुरू, जिला–लोहरडग्गा, राज्य– झारखण्ड।
17.	पंचनामा सम्बन्धित विवरण।	पंचनामा दिनांक 05.09.2003 को समय 05.30 बजे A.M. से 06.45 A.M. तक। 1–शशिभूषण पुत्र शम्भू सिंह, साकिन–सिंधुआ बांगर, थाना– कसया, जनपद– कुशीनगर। 2–अजय कुमार सिंह पुत्र केदार सिंह, साकिन–सिंधुआ बांगर, थाना– कसया, जनपद– कुशीनगर। 3–पंकज कुमार सिंह पुत्र शशिभूषण सिंह, साकिन– सिंधुआ बांगर, थाना– कसया, जनपद– कुशीनगर। 4–भोला पुत्र विरझन, साकिन–सिंधुआ बांगर, थाना– कसया, जनपद– कुशीनगर। 5–धीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० जगतनरायन सिंह, साकिन– सिंधुआ बांगर, थाना– कसया, जनपद– कुशीनगर।
18.	प्रकरण/मामले के अन्वेषण समाप्ति/पूर्णता की तिथि व	दिनांक 13.10.2003 को आरोप पत्र

	विवरण।	दाखिल करके अन्वेषण समाप्त किया गया।
19.	आरोप विरचना की तिथि।का दवा–ईलाज, पंचना	दिनांक 08.12.2004 को आरोप विरचित किया गया।
20.	किन धाराओ के अन्तर्गत अभियुक्त के विरूद्ध आरोप की विरचना की गयी।	धारा– 302 भा०दं०सं०
21.	अभियोजन साक्ष्य की तिथि।	पी०डब्लू०–1 मुख्य परीक्षा दिनांक 21.12.2024 प्रतिपरीक्षा दिनांक 21.12.2024 पी०डब्लू०–2 मुख्य परीक्षा दिनांक 14.02.2025 प्रतिपरीक्षा दिनांक 14.02.2025 पी०डब्लू०–3 मुख्य परीक्षा दिनांक 17.03.2025 प्रतिपरीक्षा दिनांक 17.03.2025 पी०डब्लू०–4 मुख्य परीक्षा दिनांक 18.09.2025 प्रतिपरीक्षा दिनांक 18.09.2025 पी०डब्लू०–5 मुख्य परीक्षा दिनांक 10.09.2025 प्रतिपरीक्षा दिनांक 10.09.2025 पी०डब्लू०–6 मुख्य परीक्षा दिनांक 23.02.2026 व 25.02.2026 प्रतिपरीक्षा दिनांक 25.02.2026.
22.	अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत एवं परीक्षित मौखिक साक्षीगण की संख्या व विवरण।	1– पी०डब्लू०–1 भोला पुत्र विरझन, वादी मुकदमा/ प्रथम सूचनाकर्ता। 2– पी०डब्लू०–2 हारून पुत्र मुंशी, साक्षी। 3– पी०डब्लू०–3 पंकज कुमार सिंह पुत्र शशिभूषण सिंह, मृतक के पंचायतनामा का साक्षी, 4– पी०डब्लू०–4 डा० सुरेश कुमार, मृतक का पोस्टमार्टमकर्ता साक्षी। 5– पी०डब्लू०–5 भोलानाथ

		उपाध्याय, हेड मुहर्रि साक्षी। 6– पी०डब्लू–6 श्री प्रकाश गुप्ता, विवेचक, साक्षी।
23.	अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 आपराधिक प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये जाने की तिथि।	दिनांक 26.02.2026
24.	बचाव पक्ष/अभियुक्त की तरफ से दिये गये साक्ष्य का विवरण।	बचाव पक्ष/अभियुक्तगण की तरफ से कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है।
25.	बचाव पक्ष/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत एवं परीक्षित मौखिक साक्षीगण की संख्या एवं विवरण।	बचाव पक्ष/अभियुक्तगण की तरफ से कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है।
26.	वर्तमान प्रकरण/मामला किस साक्ष्य पर आधारित है।	प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित।

<u>साक्षीगण एवं प्रदर्शों की तालिका</u>–

9– अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोपों को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष की तरफ से निम्नलिखित साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके परीक्षित कराया गया है–

क्र० सं०	**साक्षीगण का नाम व विवरण**	**साबित किये गये प्रपत्र एवं विवरण**
1.	अभियोजन साक्षी संख्या–01/प्रथम सूचनाकर्ता, भोला पुत्र विरझन।	यह साक्षी घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और प्रथम सूचनाकर्ता है, इसने घटना की सूचना पाकर प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराया।
2.	अभियोजन साक्षी संख्या–02/ साक्षी हारून पुत्र मुंशी।	यह साक्षी भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है।
3.	अभियोजन साक्षी संख्या–03/ पंचनामा साक्षी पंकज कुमार सिंह पुत्र शशिभूषण सिंह।	यह साक्षी भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, मात्र पंचनामा का साक्षी है।
4.	अभियोजन साक्षी संख्या–04/ पोस्टमार्टमकर्ता डा० सुरेश कुमार।	यह साक्षी भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, मात्र मृतक के पोस्टमार्टम का साक्षी है।
5.	अभियोजन साक्षी संख्या–05/ साक्षी भोलानाथ उपाध्याय।	यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, मात्र प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज किया है।
6.	अभियोजन साक्षी संख्या–06/ श्रीप्रकाश गुप्ता, विवेचक।	यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, मात्र मामले की विवेचना किया है।

अभिलेखों की तालिका–

10– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखिय साक्ष्य में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत कर पत्रावली में दाखिल किये गये हैः–

क्र० सं०	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श का विवरण
1.	तहरीर दिनांकित 05.09.2003	प्रदर्श क–1 दिनांकित 21.12.2024
2.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांकित 05.09.2003	प्रदर्श क–2 दिनांकित 19.08.2025
3.	नकल रपट दिनांकित 05.09.2003	प्रदर्श क–3 दिनांकित 10.09.2025
4.	प्रथम सूचना रिर्पोट दिनांकित 4/5/09.2003	प्रदर्श क–4 दिनांकित 10.09.2025
5.	पंचायतनामा दिनांकित 05.09.2003	प्रदर्श क–5 दिनांकित 23.02.2026
6.	शव विवरण दिनांकित 05.09.2003	प्रदर्श क–6 दिनांकित 23.02.2026
7.	फोटा लाश दिनांकित 05.09.2003	प्रदर्श क–7 दिनांकित 23.02.2026
8.	नमूना मोहर दिनांकित 05.09.2003	प्रदर्श क–8 दिनांकित 23.02.2026
9.	घटनास्थल नक्शा–नजरी दिनांकित 05.09.2003	प्रदर्श क–9 दिनांकित 23.02.2026
10.	फर्द बरामदगी दिनांकित 05.09.2003	प्रदर्श क–10 दिनांकित 23.02.2026
11.	फर्द कब्जा टार्च दिनांक रहित	प्रदर्श क–11 एवं क–12 दिनांकित 23.02.2026

साक्षीगण की तालिका–

11– उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं को साबित करने के क्रम में अभियोजन द्वारा निम्नलिखित साक्षीगण परीक्षित किये गये हैः–

क्र० सं०	साक्षी संख्या	नाम एवं विवरण
1.	पी०डब्लू०–1	वादी मुकदमा भोला (प्रथम सूचना कर्ता)
2.	पी०डब्लू०–2	हारून (साक्षी)
3.	पी०डब्लू०–3	पंकज कुमार सिंह (मृतक के पंचनामा के साक्षी)
4.	पी०डब्लू०–4	डा० सुरेश कुमार (पोस्टमार्टमकर्ता)
5.	पी०डब्लू०–5	भोला नाथ उपाध्याय, (चिक एफ०आई०आर० लेख व कायमी जी०डी० कर्ता)
6.	पी०डब्लू०–6	श्री प्रकाश गुप्ता, (विवेचक)

अवधार्य बिन्दु–

12– उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्त/बचाव पक्ष की तरफ से विद्वान अधिवक्ता **श्री केशव प्रसाद शुक्ल, एडवोकेट** उपस्थित आये। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को बहस इत्यादि को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का

सम्यक परिशीलन किया। न्यायालय की दृष्टि में न्याय तक पहुँचने के लिये निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पाना न्यायसंगत एवं न्यायहित में आवश्यक है–

(i) क्या अभियुक्त ने दिनांक – 4/5–09–2003 की रात मृतक की गोली मार कर हत्या किया है?

(ii) क्या अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दोषी है?

(iii) क्या अभियुक्त धारा– 302 भा०दं०सं० के तहत दोषी है?

13– इस मामले में अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों, दस्तावेजों एवं प्रदर्शों का विश्लेषणात्मक परिशीलन करते हुये अवधार्य बिन्दु संख्या– 01 ता 03 का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से तथा तथ्यों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ करके मामले का विनिश्चय किया जा रहा है।

साक्षीगण के कथन (मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा)–

14–अभियोजन द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता भोला पुत्र विरझन को पी०डब्लू०–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। प्रथम सूचनाकर्ता पी०डब्लू०–1 भोला पुत्र विरझन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है, कि घटना आज से 21 साल 3 महीना पहले रात की लगभग एक बजे की गांव के ही शशिभूषण सिंह के ईट भट्टे की है। उस समय भट्टे पर जिला लोहरदग्गा झारखण्ड के मजदूर भट्टे पर काम के लिए आये थे। उसी में से एक मजदूर कुर्रा नाम का था। जो भट्टी पर अपनी झोपड़ी झल्ला में मौजूद था। तभी उसे बदमाश आकर गर्दन में सामने से गोली मार दिये थे। आवाज सुनकर मैं भट्टे के उपर से दौड़कर गया तो देखा कि वह लहुलुहान पड़ा हुआ था। किन बदमाशों ने गोली मारी मैंने देखा नहीं था। पहचाना नहीं था। मैंने सूचना भट्टा मालिक शशिभूषण सिंह को उसी रात दिया। वह आये लाद फान कर सरकारी अस्पताल कसया ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने कुर्रा को मृत्यु घोषित कर दिया। तब भोर में शशिभूषण सिंह ने एक दरखास्त लिखा और उस पर मेरा निशानी अंगूठा लगवाये थे। थाने पर देकर दरोगा जी व पुलिस के लोगों को हास्पिटल में बुलवाये अगली सुबह कसया हास्पीटल पर दरोगा जी व पुलिस के लोग आये थे। लाश की पंचायतनामा की लिखा पढ़ी किये थे। मैंने भी पंचायतनामा के कागज पर अंगूठा निशानी लगाया था। लाश शीलबन्द होकर पोस्टमार्टम के लिए चली गयी थी। फिर मैं भट्टा पर वापस आ गया था। दरोगा जी भट्टा पर आये थे। जहां मृतक कुर्रा को बदमाशों ने गोली मारा था। उस जगह से सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी दरोगा जी अलग–अलग डिब्बों में रखकर ले गये थे। उस कागज पर निशानी अंगूठा मेरा बनवाये थे। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या – क/5 मूल तहरीर दिखाया गया। उसे देखकर अपने बने निशानी अंगूठा को साक्षी ने पहचान किया। जिस पर प्रदर्श – क–1 अंकित किया गया। मैंने यह दरखास्त शशिभूषण बाबू से नहीं लिखवाया था। उसने स्वयं लिखा। मैंने उस समय उनके भट्टे पर मुंशी था। इसलिए मुझसे कहे तो मैंने अपना निशानी अंगूठा लगा दिया था। मुझे पढ़कर सुनाये नहीं थे। किन–किन लोगों ने मिलकर इस बात को लेकर कुर्रा को गाली मारकर हत्या किया था मैंने नहीं देखा व मुझे जानकारी भी नहीं है। सीताराम ने देखा था कि नहीं मैं नहीं बता सकता। घटना के दो दिन पहले मेरे भट्टा मालिक शशिभूषण सिंह का हाजिर अदालत अभियुक्त राजेन्द्र मिश्रा का झगड़ा होने की जानकारी मुझे नहीं है। घटना के पहले राजेन्द्र मिश्रा ने भट्टे पर आबकारी विभाग का छापा मरवाया था। इसकी मुझे जानकारी नहीं

है। छापा पढ़ा था। वह छापा राजेन्द्र मिश्रा के कहने पर या किसके कहने पर आबकारी विभाग के लोगों ने छापा मारा था। मैं नहीं बता सकता। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज सं० क 9/1 ता क9/2 पचांयतनामा प्रपत्र दिखाया गया। जिसकी लिखा पढ़ी दरोगा द्वारा कसया हास्पीटल में किया जाना व बने अपने निशानी अंगूठे की पहचान किया।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या क8/1 दिखाया गया। जिस पर बने अपने निशानी अंगूठा को साक्षी ने पहचान किया। मैंने दरोगा जी को अभियुक्त राजेन्द्र या किसी अन्य अथवा हरेन्द्र द्वारा घटना किये जाने के संबंध में कोई बयान नहीं दिया था। मुझे आज तक जानकारी नहीं है। घटना वाली रात कुर्रा को किन लोगों ने गाली मारी थी। मेरे सामने दरोगा जी कोई नक्शा नजरी नहीं बनाये थे। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

जिरह द्वारा अभियोजन– मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। आज सम्मन से मुकदमें की जानकारी होने पर गवाही देने आया हूं। घटना के समय मैं शशिभूषण बाबू के उस भट्ठे पर जहां घटना हुयी थी। वहां मुंशी था। जब गोली चली उस समय मैं भट्टे पर उपर चारपाई डालकर सोया था। बतौर चौकीदार भी मैं ही रखवाली करता था। मृतक कुर्रा अपनी झोपड़ी/झाल में कभी–कभी दारू बनाता था। स्वयं भी पीता था व अपने साथी मजदूरों को भी पिलाता था। गांव व आस पास के कौन–कौन से लोग दारू पीने भट्टे पर आते थे नहीं बता सकता। अभियुक्त राजेन्द्र मिश्र व हरेन्द्र मिश्र रहसू के बगल गांव पड़ोसी के रहने वाले हैं। जिसमें से अभियुक्त हरेन्द्र की मृत्यु हो चुकी है। राजेन्द्र मिश्रा आज हाजिर अदालत आये हैं। मैं इन्हें पहले से जानता पहचानता हूं। जब गोली चली तो मैं जग गया व तेजी से उतरकर कुर्रा की झोपड़ी के तरफ गया था तो अभियुक्त राजेन्द्र मिश्र व हरेन्द्र मिश्र को मौके से भगाते हुये मैंने नहीं देखा था। इन लोगों ने गोली मारी थी और भागे थे। सीताराम ने टार्च की रोशनी में पहचाना था। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सीताराम ने मुझे अभियुक्तगणों को घटना करके भागते हुये देखे जाने की बात नहीं बतायी थी। घटना के पहले आबकारी विभाग का छापा दो दिन पहले पड़ा था तथा मेरे मालिक शशिभूषण सिंह की बदनामी हुयी थी। जिससे मेरे मालिक शशिभूषण सिंह नाराज थे। वह छापेमारी आबकारी विभाग से अभियुक्तगण ने डलवाया था इसकी जानकारी मुझको नहीं है। छापेमारी की बात को लेकर भट्टा मालिक शशिभूषण सिंह व अभियुक्तगणों से घटना के पहले पूछा–पाछी हुयी थी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। किससे कहा सुनी हुयी थी मेरी जानकारी में नहीं है। मैं नहीं बता सकता। प्रदर्श–क–1 दरखास्त मैंने बोल–बोलकर शशिभूषण सिंह से नहीं लिखवाया था। सुनसमझकर अंगूठा लगाकर थाने पर अभियुक्तगण के खिलाफ यह मुकदमा लिखवाया था।

यह कहना गलत है कि प्रदर्श–क–1 दरखास्त मैंने स्वयं जैसी बोल–बोलकर जैसा घटना हुआ था। शशिभूषण सिंह लिखवाया था व थाने को देकर अभियुक्तगण के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज करवाया था। आज अभियुक्त राजेन्द्र मिश्रा के दबाव में होने के कारण जानबूझकर गलत बयान दिया हूं।

यह कहना गलत है कि मैंने दरोगा जी को जब उन्होंने पूछ ताछ किया तो अभियुक्त राजेन्द्र और हरेन्द्र मिश्रा द्वारा ही घटना किये जाने का बयान दिया था।

यह कहना गलत है कि केस डायरी में मेरे नाम से दरोगा जी ने जो बयान लिखा है मुझे पढ़कर सुनाया जा रहा है। वैसा ही बयान मैंने घटना के बारे में दरोगा जी को दिया था तथा मेरे बताने पर

दरोगा जी नक्शा नजरी घटनास्थल बनाया था।

यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण ने ही गाली मारकर मृतक कुर्रा का हत्या किया था। भागते हुये मैंने व सीताराम ने टार्च की रोशनी में पहचान किया था।

यह कहना गलत है कि अभियुक्त राजेन्द्र मिश्रा से मिलकर रूपये पैसे लेकर प्रभावित हो गया हूं इसलिए इस मुकदमें से बचाने के लिए सही तथ्यों से इंकार कर काल्पनिक व झूठे बातों का बयान दिया हूं।

15– अभियोजन द्वारा हारून पुत्र मुंशी को पी०डब्लू–2 के रूप में परीक्षित कराया गया है। जिन्होनें अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है, कि घटना आज से करीब 21 साल 09 महीना पहले की है। सिंधुवा बांगर गांव के रहने वाले शशिभूषण सिंह के ईट भट्टे पर रहने वाले एक मजदूर कुर्रा जो झारखण्ड का रहने वाला को रात में बदमाशों ने गाली मार कर हत्या कर दिया था। उस रात मैं भट्टे पर नहीं रूका था। घटना को अपनी आखों से नहीं देखा था। गोली किन बदमाशों ने मारा था मैंने स्वयं नहीं देखा था। इस केस के अभियुक्त राजेन्द्र मिश्र व उनके गांव के हरेन्द्र मिश्र ने गाली मारी थी कि किसने गोली मारी थी। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। में घटना के पहले से उस भट्टे पर ट्रैक्टर ट्राली चलाकर ईट की ढुलाई करता था व भाड़े पर कमाता था। उस रात मैं भट्टे पर नहीं रूका था। इसलिए अभियुक्तगणों को मैं नहीं देखा था। इस घटना के दो दिन पूर्व आबकारी विभाग का छापा भट्टे पर पड़ा था जिसमें शराब बनाते कुछ मजदूरों को आबकारी पुलिस वाले पकड़े थे तब भट्टा मालिक की बेइज्ज़ती हुयी थी व छापा अभियुक्त राजेन्द्र मिश्र व उनके पट्टीदार हरेन्द्र मिश्र के शिकायत पर कि अन्य किसी की शिकायत पर किया था मुझे जानकारी नहीं है। घटना के संबंध में तीन चार दिन बाद दरोगा जी आये थे। एक टार्च लिये थे व एक कागज पर मेरा दस्तखत बनवाये थे। मैंने उन्हें कोई बयान नहीं दिया था। किसी अभियुक्त के बारे में घटना देखे जाने का दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था। किन लोगों ने मजदूर कुर्रा की गाली मार कर हत्या की आज तक मुझे जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

जिरह द्वारा अभियोजन – आज मैं सम्मन से मुकदमें की जानकारी होने पर गवाही दे लिए आया हूं। मैं कक्षा 04 तक पढ़ा हूं। हस्ताक्षर बनाता हूं। कागज सं०– क 17/1 पर मेरा हस्ताक्षर बना है। मैंने ही बनाया है। जिस समय मैं हस्ताक्षर बनाया था उस समय भट्टा मालिक शशिभूषण सिंह भी मौजूद थे। दरोगा जी एक टार्च लिये थे। उस टार्च को मैंने नहीं दिया था। टार्च की रोशनी में अभियुक्तगण हरेन्द्र मिश्र व राजेन्द्र मिश्र का गोली मार कर हत्या करते हुए नहीं देखा था। मैंने घटना वाली रात अभियुक्तगण राजेन्द्र मिश्र या किसी अन्य को गोली चलाते हुए नहीं देखा था। बदमाश कितनी संख्या में थे मेरी जानकारी नहीं है। मैं मौके पर नहीं था। इसलिए अभियुक्तगण की हत्या शोर शराबा नहीं सुना था। गाली गुप्ता या धमकी की कोई बात भी नहीं सुना था। घटना के पहले आबकारी विभाग का छापा अभियुक्तगण के ही शिकायत पर पड़ा था। इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। घटना के पहले व आबकारी विभाग के छापे के बाद भट्ठा मालिक शशिभूषण सिंह से अभियुक्त राजेन्द्र मिश्र और उसके मालिक जो अभी मर चुके हैं कहा सुनी व वाद विवाद था या नहीं मुझे जानकारी नहीं है।

दरोगा जी घटना के बाद भट्टे पर आये थे। मुझसे कोई पूछताछ किये थे। मुझे याद नहीं है।

साक्षी को बयान धारा – 161 केस डायरी पर्चा नं० 3 से बयान धारा – 161 सी०आर०

पी०सी० साक्षी को पढ़कर सुनाया गया व दरोगा जी को दिये बयान से पूछने पर बताया कि ऐसा बयान मैंने दरोगा जी को नहीं दिया था। कैसे लिख लिए हैं मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि दरोगा जी को मैंने घटना के संबंध में जैसा–जैसा बयान दिया था हुबहु वही बाते मेरे बयान में केस डायरी में अंकित किया है। आज जानबूझकर अभियुक्त को बचाने के लिए झूठा बयान दे रहा रहा हूं।

यह कहना गलत है कि घटना वाली रात को मैं भट्टे पर ही था। घटना देखा सुना था।

यह कहना गलत है कि जिस टार्च की रोशनी में मैं अभियुक्तगण हरेन्द्र मिश्र व राजेन्द्र मिश्र को घटना करते देखा था वह टार्च मैंने स्वयं दरोगा जी को दिया था। यह कहना गलत है कि आज मैं अभियुक्त राजेन्द्र मिश्र से मिलकर रूपये पैसे लेकर बचाने के लिए झूठा बयान दे रहा हूं। बचाव पक्ष द्वारा जिरह से इंकार किया गया।

16– अभियोजन द्वारा पंकज कुमार सिंह पुत्र राशिभूषण सिंह को पी०डब्लू०–3 के रूप में परीक्षित कराया गया है। जिन्होनें अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना आज से करीब 21 साल दस माह पहले की है। मेरे ईट के भट्टे पर रहने वाले एक मजदूर कुर्रा की रात में बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दिया था। उसकी लाश सरकारी अस्पताल कसया ले जाया गया था। जब मौके से थाना कसया से SO महोदय मय पुलिस टीम पहुंचे थे। मैं भी सरकारी अस्पताल कसया में मौजूद थे। सी०एच०सी० कसया में मौजूद उक्त हम पांच लोगों को SO साहब पंच नियुक्त कर कुर्रा के शव के पंचनामा की लिखा पढ़ी हम लोगों के सामने किये थे। राय पंचान के रूप में कुर्रा की मृत्यु गोली लगने से होना बताया था। पंचनामा की लिखा पढ़ी करने के पश्चात SO साहब ने मौके पर ही हम पंचगणों से तैयार पंचनामा पर हस्ताक्षर बनवाया था। मैं भी अपना उस पर हस्ताक्षर बनवाया था।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या – क 9/1 ता क 9/2 पंचनामा प्रपत्र दिखाया गया। देख पढ़कर साक्षी ने स्वयं के सामने पंचनामा की लिखा पढ़ी होने व उस पर बने अपने हस्ताक्षर की और अपने पिता शशिभूषण सिंह की हस्ताक्षर की और अपने पिता शशिभूषण सिंह की भी हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान किया। पंचनामा की लिखा पढ़ी होने के पश्चात SO साहब ने लाश को सीलमोहर कर पी०एम० हेतु चिर घर लाश को भेज दिया था। जांच पड़ताल के दौरान दरोगा जी मुझसे मिले थे। पूछताछ कर मेरा बयान लिये थे।

क्रास बाई डिफेंस– पंचनामा प्रपत्र पर मैंने थाने पर किस जगह अपना हस्ताक्षर बनाया था ध्यान नहीं आ रहा है। जब मैंने पंचनामा पेपर पर हस्ताक्षर बनाया था उस समय मेरे साथ और कौन–कौन था मुझे याद नहीं है। कुर्रा को कैसे गोली लगी थी इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। जब मैंने प्रपत्र पर हस्ताक्षर बनाया उस समय उस पर कुछ लिखा था कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। इस संबंध में किसी दरोगा जी ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं किया है न ही मेरा बयान लिया है मृतका का मृत्यु कैसे हुई इस संबंध में मैंने न ही कोई बयान दिया है।

यह कहना सही है कि घटना के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। किसी के कहने पर पंचनामा के कागज पर घटना बना दिया था।

17– अभियोजन द्वारा सुरेश कुमार रिटायर्ड ए०सी०एम०ओ०, कुशीनगर, वर्तमान पता एम०आई०जी० 33 तुलसी आवासीय कॉलोनी पडरौना कुशीनगर, को पी०डब्लू०– 4 के रूप में परीक्षित

कराया गया है। जिन्होनें अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सशपथपूर्वक बयान किया कि दिनांक – 05.09.2003 को बतौर मेडिकल आफिसर मैं एम०ओ०टी०बी० क्लिनिक पडरौना में तैनात था। उस दिन मेरी ड्यूटी कसया पोस्टमार्टम हाउस पर सी०एम०ओ० कुशीनगर के आदेश से लगी थी। उस दिन दिनांक – 05.09.2003 को समय 02.30 पी०एम० बजे मृतक कुर्रा उम्र लगभग 29 वर्ष पुत्र महादेव निवासी रानी डोमरी, जिला– लोहरदंगाा झारखण्ड का शव मेरे समक्ष लेकर कसया थाने के कांस्टेबल पी०एम० हेतु उपस्थित आये थे। पुलिस सतीशचन्द पाल व शेषनाथ कुर्रा उपरोक्त के शव का पोस्टमार्टम संख्या – 210/2003 पर मैंने शव का पोस्टमार्टम किया।

सामान्य परीक्षण – एक अवसत कद काठी के 29 वर्ष के पुरूष कद काठी का शव जिसकी दोनों आंखे बन्द थी। मुंह भी बन्द था। शव में मृत्यु पश्चात अकड़न उपरी व निचले हिस्से में मौजूद था।

मृत्यु पूर्व चोंटे – 1. फायर आर्म कुन्द आॅफ इन्ट्री जो 2.5 सेमी *2.5 सेमी* कैविटीडीप के मारजिन में लैस्टेटेड इनवर्डेड बीच बैलकनिश प्रजेन्ट आॅन सुपराइन्टनरूनाज पर था। जो 14 सेमी बांये निपल के उपर मौजूद था।

चोट नंबर – 2 फायर आर्म कुन्द आफ एक्जिट 2 सेमी * 2 सेमी * कैविटीडीप आन द लेफ्ट स्कैपुलररीजन पर जो बांय सोल्जरटिप से सेमी नीचे था। मारजिन इवर्टेड नो० स्कोर्चिंग नो ब्लैकटिंग।

आन्तरिक परीक्षण– दोनों कैरोटिक आट्री करी हुयी थी और फटी हुयी थी। ट्रैकिया लेस लेटेड था। नेक मलेल भी लेसिलोटेड था। खोपड़ी के मेबरेन के जेस्टेड अवस्था में था। लैटिक्स और ट्रैकिया लेसलेटेड था। ब्रोनकाई फुल आफ ब्लड था। लगभग दो लीटर क्लाटेड ब्लड सीरम के साथ श्योरिश कैविटी मौजूद थी। दाहिना व बचो दोनों फेफड़ा कंजेस्टेड था। हृदय के दोनों चेम्बर खाली थे। दोनों कैरोट्रिड आरट्री कटी और फटी थी। बगल कैविटी 15/15 आमालय खाली था। आसोफेशस लैस्टेटि अवस्था में था। छोटी आंत में अधकचा खाद्य पदार्थ व गैस मौजूद थी। बड़ी आंत में विकल मैटर व गैस मौजूद थे। लीवर का वजन 1150 ग्राम और गालब्लेडर फुल था। स्पिलिन का वजन 170 ग्राम था। किडनी का वजन 200 ग्राम था। शव का पोस्टमार्टम करने के पश्चात पी०एम० रिर्पोट मैंने स्वयं के हस्तलेख में तैयार कर हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार कर शव के साथ लाया गया। सभी नौ संलग्न प्रपत्रों पर अपना हस्ताक्षर बना कर शव लाने वाले संबंधित कांस्टेबल व पुलिस को सुपुर्द किया था। मृत्यु का समय – लगभग आधा दिन था। मृत्यु का कारण – मृत्यु पूर्व आईगन साट इंजरी के फलस्वरूप होने वाली है और शाक से हुयी थी। शव पर पाये गये एक बंडी एक अण्डरवियर एक तौलिया कुल तीन कपड़ों को एक बंडल में रखकर शील कर पी०एम० रिर्पोट के साथ शव लाने वाले कांस्टेबल पुलिस को शव सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर दिया था।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या – क–16 पी०एम० रिर्पोट दिखाया गया। देखकर उल्लिखित तथ्यों को तस्दीक करते हुए पी०एम० रिर्पोट स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर होने की पहचान की। पहचान की जिस पर प्रदर्श–क–2 डाला गया।

जिरह द्वारा बचाव पक्ष मृतक के शरीर पर कुल दो चोंटे थी। दोनों चोंटे फायर आर्म थे। दोनों चोंटे अलग अलग डाईमेन्शन की थी। चोट नंबर – 01 में ब्लैक इन थी। चोट नंबर – 02 में ब्लैकनिश नहीं थी। चोट नंबर – 01 में ब्लैकनिश था। मैं यह नहीं बता सकता कि यह चोट कितने दूरी से काज किया गया है। दिनांक – 05.09.2003 को 02.30 पी०एम० पर मृतक का पोस्टमार्टम किया। शरीर के उपर व नीचे दोनों हिस्सों में अकड़न था। पोस्टमार्टम करने के पूर्व मृतक 15 घण्टा पूर्व मरा होगा। इंजरी में मैंने इन्वर्टेड लिखा है का अर्थ मारजिन इन साइड चला गया था।

18– अभियोजन द्वारा उपनिरीक्षक भोला नाथ उपाध्याय, सेवा निवृत, को पी०डब्लू०–5 के रूप में परीक्षित कराया गया है। जिन्होनें अपनी मुख्य परीक्षा जरिये वीडियो कार्फ्रेसिंग के माध्यम से कथन किया है कि – मैं दिनांक – 05.09.2003 को बतौर हेड मोहर्रिर थाना– कसया, जनपद– कुशीनगर में तैनात था। उस दिन समय 05.30 बजे सुबह एक लिखित तहरीर पर स्वयं का निशानी अंगूठा लगाये वादी भोला पुत्र विरझन थाना कार्यालय उपस्थित आये उनके द्वारा दिये लिखित तहरीर के आधार पर मैंने इस मामले की जी०डी० आमद रपट नं०– 06 पर उसी समय मूल के साथ ही प्रासेस में एक कार्बन प्रति नकल में आमद किया तथा साथ ही साथ मामले का चिक भी मु०अ०सं० – 749/2003 अन्तर्गत धारा – 302 IPC विरूद्ध नामजद अभियुक्तगण राजेन्द्र व हरेन्द्र के किता किता तथा इस मामले की विवेचना जरिये नकल रपट कायमी व नकल चिक तथा पंचनामा प्रपत्रों सहित तत्कालीन SHO श्रीप्रकाश गुप्ता को सुपुर्द किया दौरान विवेचना विवेचक को मैंने मुकदमा कायमी के संबंध में बयान दिया था। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या – क07/01 व क07/02 कार्बन नकल जी०डी० कायमी दिखाया गया। देख–पढ़कर स्वयं के लेख की कार्बन नकल होने की साक्षी ने पहचान किया जिस पर प्रदर्श– क–3 अंकित किया गया। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या – क04 चिक FIR दिखाया गया जिसे देख–पढ़कर स्वयं के लेख व हस्ताक्षर में होने की साक्षी ने पहचान किया जिस पर प्रदर्श–क–04 डाला गया।

जिरह द्वारा बचाव पक्ष– FIR दिनांक – 05.09.2003 को दर्ज किया। मेरे द्वारा डायरेक्ट FIR कोर्ट को नहीं भेजा जाता है। उसी तारीख को मैंने कप्तान साहब को भेज दिया। न्यायालय में मैंने FIR की कॉपी नहीं भेजा। FIR मैंने संबंधित अधिकारी को भेज दिया न्यायालय में मैंने नहीं भेजा। विवेचक द्वारा पर्चा गया है उसी में गया होगा। हमको याद नहीं की मैं न्यायालय में क्यों नहीं भेजा इसका कारण मुझे याद नहीं है। घटना दिनांक – 04/05.09.2003 की है।

19– अभियोजन द्वारा निरीक्षक श्रीप्रकाश गुप्ता, सेवा निवृत, को पी०डब्लू०– 6 के रूप में परीक्षित कराया गया है। जिन्होनें अपनी मुख्य परीक्षा में माध्यम से कथन किया है कि – मैं दिनांक – 04.09.2003 से बतौर थानाध्यक्ष थाना– कसया, जिला– कुशीनगर पर कार्यरत था। दिनांक – 05.09.2003 को समय 05.30 बजे सुबह वादी भोला के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर पंजीकृत मु०अप०सं० – 749/2003 धारा – 302 भा०दं०सं० बनाम राजेन्द्र मिश्रा आदि की विवेचना मुझ एस०ओ० को सुपुर्द हुआ। ततपश्चात नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर सी०डी० में अंकित किया तथा वादी भोला का बयान लेकर वादी के निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा मृतक कुर्रा का पंचायतनामा की कार्यवाही दिनांक – 05.09.2003 को समय 06.45 ए०एम० पर प्रारम्भ कर

08.30 एम०एम० तक पूरा किया है। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद मौके से खून आलूदा व सादी मिट्टी को कब्जे में लेकर उसकी फर्द तैयार किया था। ततपश्चात समयी साक्षी पूर्णवासी का बयान लेकर अंकित सी०डी० करते हुये दिनांक – 05.09.2003 से सी०डी० पर्चा नंबर – 01 किता किया है। पुनः दिनांक – 06.09.2003 के मामले की विवेचना में सी०डी० में पर्चा नंबर – 02 किता किया है जिसमें मृतक कुर्रा का पंचायतनामा का नकल व पी०एम० रिर्पोट की नकल संलग्न सी०डी० किया है तथा लेखक एफ०आई०आर० भोलानाथ का बयान लेकर अभियुक्तगण के गिरफ्तारी हेतु दबिश दिये जाने व दरयाफ्त न होने की विवरण अंकित किया है।

पुनः दिनांक – 11.09.2003 को मामले की विवेचना में सी०डी० पर्चा नंबर – 03 किया है। जिसमें चश्मदीद साक्षी सीताराम हारून व साक्षी शशिभूषण सिंह भट्ठा मालिक का बयान लेकर अंकित सी०डी० किया है। पुनः दिनांक – 13.09.2003 को पर्चा नंबर– 04 किता किया है। जिसमें पंचायतनामा साक्षी अजय कुमार सिंह, पंकज कुमार व धीरेन्द्र का बयान लेकर अंकित सी०डी० किया है।

पुनः दिनांक – 14.09.2003 को सी०डी० पर्चा नंबर – 05 किता किया जिसमें अभियुक्तगण पतारसी सुरागरासी का विवरण अंकित है।

पुनः दिनांक – 16.09.2003 को सी०डी० पर्चा नंबर 06 किता किया है जिसमें अभियुक्तगण राजेन्द्र मिश्रा व हरेन्द्र मिश्रा के न्यायालय में आत्मसमर्पण दिये जाने का विवरण अंकित सी०डी० किया है।

पुनः दिनांक – 22.09.2003 को सी०डी० पर्चा नंबर – 07 किता किया है तथा दिनांक – 23.09.2003 को सी०डी० पर्चा नंबर 08 किया है। इन दोनों पर्चों ने अभियुक्तगण के कस्टडी रिमाण्ड हेतु न्यायालय में प्रतिवेदन करने का विवरण अंकित किया है।

पुनः दिनांक – 24.09.2003 को सी०डी० पर्चा नंबर – 09 किता किया है जिसमें मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण राजेन्द्र मिश्रा व हरेन्द्र मिश्रा को कस्टडी रिमाण्ड न्यायालय द्वारा अस्वीकार करने का विवरण अंकित किया गया है।

पुनः दिनांक – 26.09.2003 को सी०डी० पर्चा नंबर– 10 किता किया है। जिसमें अभियुक्तगण राजेन्द्र व हरेन्द्र के कस्टडी हेतु पुनः प्रतिवेदन किये जाने का विवरण अंकित किया गया है।

पुनः दिनांक – 27.09.2003 को पर्चा नंबर– 11 किता किया है। जिसमें अभियुक्तगण के 14 दिन के रिमाण्ड हेतु प्रतिवेदन दिये जाने का विवरण अंकित किया है। उसी दिन दिनांक – 29.09.2003 को पर्चा नंबर– 11A अंकित किया है। जिसमें अभियुक्त राजेन्द्र मिश्रा व हरेन्द्र मिश्रा का बयान लेकर अंकित सी०डी० किया है।

पुनः दिनांक – 07.10.2003 को सी०डी० पर्चा नंबर– 12 किता किया है। जिसमें मामले से अज्ञात बदमाशों के बारे में पतारसी व सुरागरासी का विवरण अंकित किया है।

पुनः दिनांक – 10.10.2003 को पर्चा नंबर – 13 किता किया है जिसमें अभियुक्तगण को 14 दिन रिमाण्ड हेतु प्रतिवेदन किये जाने का विवरण अंकित किया गया है।

पुनः दिनांक – 13.10.2003 को सी०डी० पर्चा नंबर– 14 किता किया है जिसमें अब तक तमामी विवेचना, बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल व अन्य संबंधी साक्ष्य में अभियुक्तगण राजेन्द्र

मिश्रा व हरेन्द्र मिश्रा उपरोक्त के विरूद्ध धारा – 302 भा०दं०सं० का अपराध बखूबी साबित पाते हुये अभियुक्तगण चालान जरिये आरोपपत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किये जाने व विवेचना प्रचलित रहने का विवरण अंकित करते हुये पर्चा किता किया है।

दिनांक – 16.10.2003 को एस०सी०डी० पर्चा नंबर – 01 दिनांक – 21.10.2003 एस०सी०डी० पर्चा नंबर– 02 दिनांक – 10.11.2003 एस०सी०डी० पर्चा नंबर – 03 तथा 14.11.2003 को पर्चा एस०सी०डी० पर्चा नंबर – 04 किता किया है। इन सभी पर्चों में अज्ञात दो अभियुक्तों के पतारासी व सुरागरासी किये जाने व दरयाफ्त न होने का विवरण अंकित किया है।

पुनः दिनांक – 17.11.2003 को एस०सी०डी० पर्चा नंबर – 05 किता किया है जिसमें मामले से संबंधित माल जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनउ जरिये का० रामअभिलाष द्वारा रपट नंबर – 11684 दिनांक – 13.11.2003 को दाखिल किये जाने व अज्ञात बदमाशों का पता चलने की उम्मीद समाप्त होने के कारण विवेचना समाप्त होने का विवरण अंकित करते हुये पर्चा किता किया है।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या – क–9/1 ता क–9/2 पंचायतनामा प्रपत्र मृतक कुर्रा दिखाया गया। देख पढ़कर उल्लिखित तथ्यों को तस्दीक करते हुये स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में पंचायतनामा प्रपत्र होने की साक्षी ने पहचान किया। साक्षी के पहचान पर सम्मिलित रूप में प्रदर्श–क–5 डाला गया। साक्षी ने बताया कि पंचायतनामा प्रपत्र में मृतक की मृत्यु होने का कारण पंचगणों द्वारा गोली लगने से आये चोटों के कारण होना राय पंचान में पंचगणों द्वारा बताया गया मेरी राय में भी पंचगणों की राय से मेल खाती हुई मैंने पंचायतनामा प्रपत्र में उल्लिखित किया है।

साक्षी को शामिल पत्रावली –क–10 पुलिस प्रपत्र 13 दिखाया गया। साक्षी ने देख पढ़कर स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर के होने की पहचान किया जिस पर प्रदर्श–क–6 अंकित किया गया।

साक्षी को सम्मिलित पत्रावली कागज संख्या – क–12 फोटोलाश दिखाया गया। देखकर पढ़कर साक्षी ने स्वयं के हस्तलेख एवं हस्ताक्षर में प्रपत्र होने की पहचान किया। साक्षी के पहचान पर उस प्रदर्श–क–7 डाला गया।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या – क–13 नमूना मोहर दिखाया गया। देख पढ़कर साक्षी ने स्वयं के हस्तलेख एवं हस्ताक्षर होने की पहचान किया। साक्षी के पहचान पर प्रदर्श–क–8 डाला गया।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या –क–18 नक्शा नजरी दिखाया गया। देख पढ़कर स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में नक्शा नजरी होने की साक्षी ने पहचान किया जिस पर प्रदर्श–क–9 डाला गया।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या – क–8/1 फर्द खून आलुदा व सादी मिट्टी दिखाया गया। देखकर पढ़कर फर्द स्वयं के हस्ताक्षर में होने की साक्षी ने पहचान किया जिस पर साक्षी के पहचान पर प्रदर्श–क–10 अंकित किया गया।

साक्षी ने शामिल पत्रावली कागज संख्या– क–17/1 व क–17/2 फर्द व सुपुर्दगीनामा टार्च स्वयं के हस्ताक्षर में होने की पहचान किया। जिस पर क्रमशः प्रदर्श–क–11 व प्रदर्श–क–12 अंकित किया गया।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या –क–3 आरोपपत्र दिखाया गया। देख पढ़कर स्वयं के हस्ताक्षर में आरोप पत्र होने की पहचान किया जिस पर प्रदर्श–क–13 अंकित किया गया।

मुख्य परीक्षा दिनांक 23.02.2026 से आगे–

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शीलबन्द सफेद कपड़े में शीलशुदा अवस्था में मामले से संबंधित माल मुकदमाती को साक्षी को दिखाया गया। साक्षी ने देखकर बताया कि वह वही माल है जिसे कब्जे में लेकर हमने शील मोहर किया था। आज हाजिर अदालत कसया थाने के होमगार्ड अब्दुल सलाम द्वारा लेकर उपस्थित आया गया है जिस पर मामले का विवरण मु०अप०सं०– 749/2003 धारा – 302 भा०दं०सं०, थाना– कसया, जिला– कुशीनगर बनाम राजेन्द्र मिश्रा वगैरह अंकित है। साक्षी के पहचान पर इस पर वस्तु प्रदर्श–1 अंकित किया गया। माननीय न्यायालय की अनुमति से साक्षी को लिखाते हुये अभियुक्त एवं उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में शीलयुक्त बंडल की शील को खोला गया। जिसके अन्दर से शीलयुक्त सफेद कपड़े में लिपटा हुआ मामले से संबंधित पी०एम० पोटली व दो अलग अलग डिब्बों में शीलशुदा अवस्था में खूनअलूदा व सादी मिट्टी मौजूद है। उसमें से एक शीलशुदा डिब्बा जिस पर मामले के विवरण मु०अप०सं०– 749/2003 धारा – 302 भा०दं०सं०, थाना– कसया, जिला– कुशीनगर खूनअलूदा मिट्टी अंकित है। साक्षी ने देखकर पहचान किया और देखकर बताया कि मौके से जो खूनअलूदा मिट्टी जो कब्जे में लिया था वही इस डिब्बे में है। माननीय न्यायालय की अनुमति से डिब्बे पर लगे शील को तोड़कर डिब्बा खोला गया और साक्षी की पहचान पर इस पर वस्तु प्रदर्श–2 अंकित है। उसमें से एक शीलशुदा डिब्बा जिस पर मामले के विवरण मु०अप०सं०– 749/2003 धारा – 302 भा०दं०सं०, थाना– कसया, जिला– कुशीनगर सादी मिट्टी अंकित है। साक्षी ने देखकर पहचान किया और देखकर बताया कि मौके से जो सादी मिट्टी जो कब्जे में लिया था वही इस डिब्बे में है। माननीय न्यायालय की अनुमति से डिब्बे पर लगे शील को तोड़कर डिब्बा खोला गया और साक्षी की पहचान पर इस पर वस्तु प्रदर्श– 3 अंकित है। मौके से सीताराम व हारून से टार्च की बरामदगी हुयी जो उनको वापस दे दिया गया था।

<u>जिरह द्वारा बचाव पक्ष : –</u> मुकदमा कायमी के समय मैं थाने पर मौजूद था। मुकदमा वादी का बयान मैंने 05.09.2003 को मैंने थाने पर नहीं लिया था। घटनास्थल पर मैंने पंचायतनामा के बाद। पहले मैंने मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा के बाद वादी का बयान लिया तब मैं घटना स्थल पर पहुंचा। पंचायतनामा मैंने सी०एच०सी कसया में किया था। पंचायतनामा की कार्यवाही 06.45 सुबह से 08.30 बजे सुबह तक की थी। लाश को मैंने 08.30 बजे सुबह के बाद भेजा दिया था। मुझे पता नहीं है कि वह कब मरा था। चालान लाश में में मु०अप०स० व धारा दोनों नहीं लिखा गया है जो सहवन छूट गया। प्रदर्श क 8 पर किसका निशान था मुझे याद नहीं है। प्रदर्श – क 11 व प्रदर्श क– 12 को तैयार करने कोई समय अंकित नहीं किया गया। घटनास्थल पर मैं लगभग 06.30 सुबह पईईहुंचा। मौके पर थाने से ही लगभग छः बजे के आस पास निकला था। रवानगी का इद्रांज थाने की जी०डी० पर होना चाहिए, लेकिन जी०डी० की नकल पत्रावली में क्यों नहीं है इसका कारण मैं नहीं बता सकता। घटनास्थल से कोई छर्रा गोली बरामद नहीं हुआ। किसी प्रकार कोई हथियार भी घटनास्थल के अगल बगल नहीं बरामद हुआ। ईट भट्टे पर लाइट की कोई व्यवस्था का मैंने कोई पता नहीं किया। मैंने केवल ईट भट्टे पर मौजूद सीताराम व

हारून का बयान लिया था। गवाहों ने घटना को कहां से देखता था उसको मैंने नक्शा नजरी में नहीं दिखाया है। घटनास्थल पर मैं करीब ढाई घण्टे तक रहा हूं। यह कहना सही है कि नक्शा नजरी कितने से कितने बजे तक रहा इसका जिक्र हमने नहीं किया है। विवेचना के दौरान मैंने कुल चौदह पर्चे कटे हैं एवं एक सी०डी०। किसी भी पर्चे को प्रारंभ या समाप्त करने कोई समय नहीं डाला हूं। खूलअलूदा मिट्टी मैंने विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था जिसकी कोई रिर्पोट नहीं है। खूलअलूदा सादी मिट्टी विधिविज्ञन प्रयोग शाला में भेजा था उसका विसतृत विवरण एक्स सी०डी० पांच में अंकित है। मृतक का कोई कपड़ा भेजा था या याद नहीं है। डी०एन०ए० टेस्ट के लिए कोई कार्यवाही नहीं किया था। नमूना शील मोहर खूनअलूदा मिट्टी पर मेरे नाम की शील रही होगी। यह कहना गलत है कि मैंने पूरी विवेचना मनगढन्त तथ्यों के आधार पर थाने पर ही बैठकर किया। यह भी कहना गलत है कि मैं पूरी कार्यवाही थाने पर ही बैठकर की थी। यह भी कहना गलत है कि आला पुलिस अधिकारियों के दबाव में मुल्जिम के खिलाफ झूठे तथ्यों पर आरोप पत्र दाखिल किया। यह भी कहना गलत है कि आज मैं न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हूं।

<u>साक्ष्यों का विश्लेषणात्मक परिशीलन</u>–

20– उपरोक्त सभी साक्षीगण के मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा, पुलिस प्रपत्रों, घटनास्थल की नक्शा–नजरी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों प्रपत्रों इत्यादि का सम्यक अवलोकन करने तथा अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों एवं बहस को सुनने के उपरान्त निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट है।

(I) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 01 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि गोली मारने की आवाज सुनकर साक्षी दौड़कर घटना स्थल पर गया तो देखा कि मृतक लहुलुहान पड़ा था और किन बदमाशों ने मृतक को गोली मारा था। साक्षी ने नहीं देखा था। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(II) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 01 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि घटना की सूचना साक्षी ने भट्ठा मालिक शशिभूषण सिंह को उसी रात दिया था। भोर में शशिभूषण सिंह एक दरखास्त लिखे थे और उस पर साक्षी का निशानी अंगूठा लगवाये थे, किन्तु साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–05 का मूल तहरीर दिखाया गया तो साक्षी ने उस पर बने अपने अंगूठा निशान को पहचान किया जिस पर प्रदर्श–क–1 पड़ा, किन्तु यह अभिकथन कि उक्त दरखास्त को साक्षी ने शशिभूषण से नहीं लिखवाया था, बल्कि स्वयं लिखा था। पुनः अभिकथन किया है कि शशिभूषण सिंह कहे इसलिए अंगूठा निशान लगा दिया था। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(III) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 01 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि किन लोगों ने मिलकर कुर्रा (मृतक) की गोली मार कर हत्या किये थे, साक्षी ने नहीं देखा। साक्षी को जानकारी भी नहीं है। सीताराम ने देखा था कि नहीं साक्षी यह भी नहीं बता सकता। घटना वाली रात किन लोगों ने कुर्रा (मृतक) को गोली मारी थी इसकी जानकारी साक्षी को नहीं है। दरोगा जी साक्षी के समक्ष कोई नक्शा नजरी नहीं बनाये थे। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(IV) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 01 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि अभियुक्त राजेन्द्र मिश्रा को घटनास्थल से भगाते हुये नहीं देखा था। साक्षी को इस बात की जानकारी नहीं है कि राजेन्द्र मिश्रा गोली मारे थे और भागे थे। साक्षी को यह भी जानकारी नहीं है कि सीताराम टार्च की रोशनी में देखे थे। सीताराम ने टार्च की रोशनी में अभियुक्त राजेन्द्र मिश्रा को गोली मारकर भागते हुये देखने की बात नहीं बताया था। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(V) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 01 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि घटना के पहले आबकारी विभाग से छापा पड़ने एवं शशिभूषण सिंह व अभियुक्त राजेन्द्र मिश्रा की दुश्मनी की बात की भी जानकारी को नहीं थी। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(VI) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 02 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि उस रात भट्टे पर नहीं रूका था। घटना को अपनी आखों से नहीं देखा था। किसने गोली मारा था। साक्षी ने नहीं देखा था। राजेन्द्र मिश्रा या किसने गोली मारी थी इसकी जानकारी साक्षी को नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(VII) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 02 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि आबकारी विभाग के द्वारा राजेन्द्र मिश्रा के कहने पर छापा मारने की बात की भी जानकारी साक्षी को नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(VIII) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 02 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि दरोगा जी घटना के तीन चार दिन बाद आये थे। कागज पर साक्षी का हस्ताक्षर बनवाये थे। साक्षी ने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था। साक्षी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मृतक की हत्या किसने किया था। दरोगा जी टार्च लिये थे जिसे साक्षी ने नहीं दिया था। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(IX) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 02 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि साक्षी घटना को नहीं देखा था। किसी को गोली चलाते नहीं देखा था। साक्षी को जानकारी नहीं है कि बदमाश कितनी संख्या में थे। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(X) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 03 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि पंचनामा की लिखा पढ़ी करने के बाद विवेचक ने घटनास्थल पर ही पंचगणों के हस्ताक्षर कराया, किन्तु अपने साक्ष्य में इसके विपरीत अभिकथन करते हुये कहा है कि पंचनामा पर थाने पर किस जगह अपना हस्ताक्षर बनाया साक्षी को याद नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(XI) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 03 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि. साक्षी को यह भी याद नहीं है कि साक्षी के अतिरिक्त अन्य कौन लोग पंच में थे। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(XII) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 03 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि. विवेचक ने साक्षी का बयान नहीं लिया था और न ही साक्षी ने बयान दिया था। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(XIII) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 03 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि जब हस्ताक्षर किया तो उस पर कुछ लिखा था या नहीं याद नहीं आ रहा है। (पंचनामा हस्ताक्षर) यह कहना सही है कि किसी के कहने पर हस्ताक्षर किया था। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(XIV) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 04 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि दिनांक – 05.09.2003 समय 02.30 पी०एम० से पन्द्रह घण्टा पहले मरा होगा। जिससे मृत्यु का समय नियत नहीं होता है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(XV) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 04 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि दो चोंटे फायर आर्म की थी। दोनों चोंटे अलग–अलग डाइमेन्शन की थी। जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि फायर किस दिशा से आकर किया गया था जो अभियुक्त की उपस्थिति में संदेह उत्पन्न करता है। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(XVI) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 06 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि चालान लाश में मु०अप०सं० व धारा दोनों नहीं लिखा है। सहवन छूट गया है। जो स्पष्टतः संदिग्धता है। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(XVII) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 06 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि प्रदर्श–क–8 नमूना सील पर किसका निशान है याद नहीं है। जो स्पष्टतः संदिग्धता है। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(XVIII) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 06 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि. प्रदर्श–क–11 कब्जा लेने टार्च / प्रदर्श तैयार करने का कोई समय अंकित नहीं है। जो स्पष्टतः संदिग्धता है। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(XIV) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 06 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि. प्रदर्श–क–12

कब्जा लेने टार्च / प्रदर्श तैयार करने का कोई समय अंकित नहीं है। जो स्पष्टतः संदिग्धता है। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(XV) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 06 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि घटनास्थल से छर्रा गोली बरामद नहीं हुआ। किसी प्रकार का हथियार घटनास्थल के अगल बगल भी बरामद नहीं हुआ। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(XVI) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 06 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि सीताराम एवं हारून का बयान लिया। ईट भट्टे पर लाईट की व्यवस्था नहीं थी। जो स्पष्टतः संदिग्धता है। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(XVII) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 06 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि घटनास्थल को साक्षीगण ने विवेचक को दिखाया था अथवा नहीं इसका समय इत्यादि नक्शा नजरी में अंकित नहीं है।जो स्पष्टतः संदिग्धता है। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(XVIII) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 06 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि साक्षीगण ने कहा से देखा नक्शा नजरी में नहीं दिखाया है। जो स्पष्टतः संदिग्धता है। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(XIX) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 06 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि. घटनास्थल पर कब तक रहा नहीं दिखाया है। जो स्पष्टतः संदिग्धता है। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(XX) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 06 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि खून आलूदा मिट्टी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई रिर्पोट नहीं है। जो स्पष्टतः संदिग्धता है। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

(XXI) अभियोजन पक्ष के साक्षी संख्या – 06 ने अपने साक्ष्य में अभिकथन किया है कि डी०एन०ए० की भी कोई जांच कार्यवाही नहीं किया गया। जो स्पष्टतः संदिग्धता है। जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के तथ्य को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

21– इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 302 भा०दं०सं० का अपराध नहीं बनता है, अभियोजन पक्ष इस मामले को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है और अभियुक्त दोषमुक्त होने योग्य हैं।

22– आपराधिक विधि शास्त्र का स्वर्णिम नियम है, कि युक्तियुक्त संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलता है, इस मामल में युक्तियुक्त संदेह का अभियोजन द्वारा स्पष्टीकरण नहीं है, और युक्तियुक्त संदेह का लाभ अभियुक्त पाने का हकदार है।

23– इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप प्रमाणित नहीं होता है। पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है, जिससे अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप प्रमाणित माना जा सके।

24– अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के प्रकाश में यह देखा जाना है, कि क्या अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किये गये हैं? इसके उत्तर हेतु अभियोजन पक्ष को मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का अन्वेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है, कि अभियोजन पक्ष ने मामले के तथ्यों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित नहीं किया है, और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रपत्रों के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 302 भा०दं०सं० के अपराध को गठित करने वाले अवयव विद्यमान नहीं हैं, तथा अभियुक्त सभी युक्तियुक्त संदेहों का लाभ पाते हुये दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

निष्कर्ष–

25– उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है, कि अभियुक्त द्वारा मृतक कुर्रा को गोली मार कर मार डालने का अपराध कारित नहीं किया गया है, और अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध अन्तर्गत धारा– 302 भा०दं०सं० का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, और न ही मामले को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा– 302 भा०दं०सं० को गठित करने वाले किसी भी अवयव का कोई विशिष्ट संपुष्टिकारक साक्ष्य विद्यमान न होने के कारण **अभियुक्त राजेन्द्र मिश्रा** को आरोप अन्तर्गत धारा– 302 भा०दं०सं० के अन्तर्गत विरचित आरोप से **दोषमुक्त** किया जाना सर्वथा न्यायसंगत है।

आदेश

अभियुक्त **राजेन्द्र मिश्रा** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 302 भा०दं०सं० के अपराध के अन्तर्गत विरचित आरोप का कोई विशिष्ट एवं संपुष्टिकारक साक्ष्य विद्यमान न होने के कारण एवं अभियोजन कथन युक्तियुक्त संदेह से परे साबित न होने के कारण अभियुक्त **राजेन्द्र मिश्रा** को उक्त आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त अपराध के विचारण की अवधि में जमानत पर रहे हैं और न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। अभियुक्त द्वारा निष्पादित व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं प्रतिभू पत्र खण्डित करते हुये प्रतिभूगण (धारा–437A दं०प्र०सं० के अंतर्गत दाखिल जमानत बन्धपत्र को छोड़कर) को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली नियामानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 16 मार्च, 2026

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या – 4,
कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक : 16 मार्च, 2026

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या – 4,
कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।

Digitally signed by SHAILENDRA MANI
TRIPATHI
Date: 2026.03.16 16:29:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court